उत्तर मध्य रेलवे

प्रधान कार्यालय
इलाहाबाद।

RBE No.112/2017
NCR PS No.5162/2017

पत्रांक: 797–E/Policy/Allowances
दिनांक : 16/10/2017

समस्त विभागाध्यक्ष/उमरे/इला., वरि. उप महाप्रबंधक, उप महाप्रबंधक/सा. मु.प्रशा. अधि/नि
मंडल रेल प्रबन्धक/कार्मिक, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद, आगरा एवं झांसी।
मुख्य कारखाना प्रबंधक, उत्तर मध्य रेलवे, वैगन रिपेयर शॉप झांसी।
मुख्य कारखाना प्रबंधक, उत्तर मध्य रेलवे, रेल स्प्रिंग कारखाना, सिथौली (ग्वालियर)।
चेयरमैन/आरआरसी/उत्तर मध्य रेलवे/इलाहाबाद।
उप मुख्य सामग्री प्रबंधक/झांसी, उप मु. अभि/सीपीओएच/इला., उप मु. अभि./सीएसपी इला.
प्रिन्सिपल – सुपरवाइजरस ट्रेनिंग सेन्टर, झांसी, सिविल ट्रेनिंग सेन्टर, कानपुर, इण्डिया रेलवे ट्रैक मशीन ट्रेनिंग सेन्टर, इलाहाबाद, एरिया ट्रेनिंग सेन्टर, झांसी, बेसिक ट्रेनिंग सेन्टर, लोको, झांसी, बेसिक ट्रेनिंग सेन्टर, सी एण्ड डब्लू/झांसी, बेसिक ट्रेनिंग सेन्टर, वैगन वर्कशॉप, झांसी, सी एण्ड डब्लू, ट्रेनिंग सेन्टर, कानपुर, परमानेन्ट वे ट्रेंनिग सेन्टर, झांसी, ट्रान्सपोर्टेशन ट्रेनिंग सेन्टर, सूबेदारगंज, इला., इलेक्ट्रिक ट्रेनिंग सेन्टर/टीआरडी/झांसी, इलेक्ट्रिक ट्रेनिंग सेन्टर, कानपुर,
मु.प्रा. अधि./आईआरपीएमयू/नई दिल्ली
उप मुख्य इंजी/ब्रिज/लाइन/इला./झांसी एवं आगरा, एक्स ई एन/ब्रिज लाईन/झांसी।
व.स.वि.स/कैश एवं पे/उमरे/इलाहाबाद।

Sub:- Implementation of the recommendations of Seventh Central Pay Commission accepted by the Government-relating to grant of PCO Allowance to staff of Production Control Organisation

The copy of Railway Board's letter No E(P&A)I-2017/SP-1/WS-1 dated 30.08.2017 is sent herewith for your information, guidance and necessary action please.

Policy letters circulated under NCRPS Nos. may also be downloaded from website www.ncr.indianrailways.gov.in
(About us/Department/Personnel/NCR Policy Circulars)

DA: As above.

16.X.17
(V.P. Singh)
Sr. Personnel Officer/HQ
For General Manager/P

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. कार्यालय अधीक्षक, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद।
2. मख्य विधि सहायक, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद।
3. मुख्य स्टाफ एण्ड वेलफेयर इन्सपेक्टर, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद।
4. मुख्य कार्यालय अधीक्षक/एससी–एसटी, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद।
5. महामंत्री, एन सी आर ई एस
6. महामंत्री, एन सी आर एम यू
7. महामंत्री, एन सी आर पी ओ ए
8. महामंत्री एस सी/एस टी एशोसिएशन
9. महामंत्री ओबीसी एशोसिएशन

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

PC-VII No. 50
RBE No. 112/2017
New Delhi, dated 30.08.2017.

No. E(P&A)I-2017/SP-1/WS-1

The General Managers and Principal Financial Advisers,
All Indian Railways & Production Units.
NCR, Allahabad

Sub: Implementation of recommendations of Seventh Central Pay Commission accepted by the Government – relating to grant of PCO Allowance to staff of Production Control Organization.

*****

Consequent upon the decisions taken by the government on the recommendations of the Seventh Central Pay Commission relating to revision of allowances, the President is pleased to revise the rates of PCO Allowance as under:

Section Engineers and Sr. Section Engineers in level 7 in the Pay Matrix (VII CPC)	6% of Basic Pay
Non-supervisory staff and Jr. Engineers up to level 6 in the Pay Matrix (VII CPC)	12% of Basic Pay

2. The revised rates of allowance shall be admissible with effect from the 1st July, 2017.

3. All other terms and conditions envisaged in Board's letter Nos. PC-IV/86/SP/1 dated 16.10.1989, PC-IV/89/SP/2 dated 28.03.1990 and PC-IV/89/SP/2 dated 31.05.1991 shall remain unchanged.

4. The PCO Allowance will not be reckoned for any benefit such as DA, HRA, CCA, pension, gratuity and fixation of pay on promotion.

5. This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.

6. Please acknowledge receipt.

Anil Kumar
(Anil Kumar)
Dy. Director/E(P&A)-I
Railway Board.

No. E(P&A)I-2017/SP-1/WS-1

New Delhi, dated 30.08.2017

Copy to the Deputy Comptroller and Auditor General of India (Railways), Room No.222, Rail Bhawan, New Delhi (with 40 spares).

for Financial Commissioner/Railways

महाप्रबन्धक कार्यालय
उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद
RB 02 08 SEP 2017
महाप्रबन्धक सचिव

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

CPO PFA RBL-2017-1014 8-9-17

पीसी-VII सं. 50
आरबीई सं. 112/2017

सं.ई(पी एंड ए)I-2017/एसपी-1/डब्ल्यूएस-1 नई दिल्ली, दिनांक 30.08.2017

महाप्रबंधक और मुख्य वित्तीय सलाहकार,
सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां

विषय: सरकार द्वारा स्वीकृत सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफ़ारिशों का कार्यान्वयन - उत्पादन नियंत्रण संगठन के कर्मचारियों को पीसीओ भत्ता देने के संबंध में।

*****

भत्तों के संशोधन के संबंध में सातवें केंद्रीय आयोग की सिफ़ारिशों पर सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति सहर्ष पीसीओ भत्ते के दरों को निम्नानुसार संशोधित करते हैं:

पे मैट्रिक्स (VII सीपीसी) में लेवल 7 में सेक्शन इंजीनियर और वरिष्ठ सेक्शन इंजीनियर	मूल वेतन का 6%
पे मैट्रिक्स (VII सीपीसी) में लेवल 6 तक के गैर-पर्यवेक्षकीय कर्मचारी और कनिष्ठ इंजीनियर	मूल वेतन का 12%

2. इन भत्तों की संशोधित दरें 1 जुलाई, 2017 से स्वीकार्य होंगी।

3. बोर्ड के दिनांक 16.10.1989 के पत्र सं. पीसी-IV/86/एसपी/1, दिनांक 28.03.1990 के पत्र सं. पीसी-IV/89/एसपी/2 और दिनांक 31.05.1991 का पीसी-IV/89/एसपी/2 में अंतर्विष्ट अन्य निबंधन एवं शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

4. किसी भी लाभ जैसे कि डीए, एचआरए, सीसीए, पेंशन, उपदान, पदोन्नति पर वेतन के निर्धारण के प्रयोजन के लिए पीसीओ भत्ते की गणना नहीं की जाएगी।

5. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जाता है।

6. कृपया पावती दें।

(अनिल कुमार)
उप निदेशक/ई(पी एंड ए)-I
रेलवे बोर्ड

सं.ई(पी एवं ए)I-2017/एसपी-1/डब्ल्यूएस-1 नई दिल्ली, दिनांक 30.08.2017

प्रतिलिपि (40 अतिरिक्त प्रतियों सहित) भारत के उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कमरा नं.222, रेल भवन, नई दिल्ली को अग्रेषित।

CPO/A
DY. CPO/GAZ
DY. CPO/I
DY. CPO/HQ
CHAIRMAN/RRC
SPO/HQ
SPO/IR
APO/IR

कृते वित्त आयुक्त/रेलें